रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 493] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 1979/अग्रहायण 3, 1901
No. 493] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 24, 1979/AGRAHAYANA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1979

का. आ. 755(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 80 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अथवा सीमा शुल्क के समाहर्ता के ओहदे से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी विनिश्चय अथवा आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील उक्त

धारा 80 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपीलीय समाहर्ता, सीमाशुल्क को कर सकेगा ।

[संख्या 5/79/फा. सं. 131/25/77-स्व. नि. 2]

मा. रामचन्द्रन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1979

S.O. 755(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 80 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby directs that any person aggrieved by any decision or order made under the said Act by any officer below the rank of a Collector of Central Excise or of Customs may prefer an appeal against such decision or order within the period specified in the said section 80 to the Appellate Collector of Customs.

[No. 5/79 F. No. 131/25/77-GC. II]

M. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979